भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या 209*

(सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

आंध्र प्रदेश में सीएसआर संबंधी व्यय

***209. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में कुल कितना व्यय किया गया है;
(ख) पलनाडु जिले में सीएसआर कार्यकलाप शुरू करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है और क्षेत्र-वार व्यय और कार्यान्वित की गई परियोजनाओं की प्रकृति क्या है;
(ग) आंध्र प्रदेश और पलनाडु जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास, ग्रामीण विकास और पर्यावरणीय सततता सहित किन-किन प्रमुख क्षेत्रों में सीएसआर निधियों का उपयोग किया गया है;
(घ) लाभार्थियों की संख्या और सृजित परिसंपत्तियों सहित पलनाडु जिले में कार्यान्वित सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त किए गए प्रमुख परिणाम क्या रहे; और
(ङ) क्या सीएसआर व्यय में पारदर्शिता, निगरानी और प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए सीएसआर नीति में कोई परिवर्तन किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में सीएसआर संबंधी व्यय के संबंध में माननीय सांसद श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 209 (9वां स्थान) के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्यवार सीएसआर व्यय अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ख) और (ग): पिछले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश और पलनाडु जिलों में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-II और III में संलग्न है। पलनाडु जिले में दो कंपनियों ने अपनी सीएसआर दायित्व का व्यय किया है और दोनों कंपनियां गैर-पीएसयू हैं।

(घ): लाभार्थी-वार सीएसआर डेटा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है और कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात् 2020-21 से 2024-25 के दौरान पलनाडु जिले में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से कोई परिसंपत्ति सृजन की सूचना नहीं दी गई है।

(ङ): सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फाइल करना होता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति निर्माण, सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय का प्रमाणन और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय की लेखा परीक्षा आदि के संबंध में मौजूदा कानूनी प्रावधान सीएसआर निधियों की पारदर्शिता, निगरानी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तंत्र हैं।

मंत्रालय ने दिनांक 27.05.2026 की अधिसूचना के माध्यम से नई मद संख्या (xiii) अर्थात् "सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर शून्य कूपन प्रमुख लिखत के अभिदान" की शुरुआत करके अनुसूची VII के दायरे का विस्तार किया है। यह संशोधन गैर-लाभकारी संगठनों को पारदर्शी और विनियमित तरीके से लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में मदद करेगा।

अनुलग्नक-I

दिनांक 03.08.2026 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (क) से सन्दर्भित

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.86	9.71	2.53	3.03	15.13
2.	आंध्र प्रदेश	719.81	663.50	987.33	1,175.88	1,383.52
3.	अरुणाचल प्रदेश	10.58	119.42	13.36	39.82	40.06
4.	असम	180.23	406.42	475.11	495.60	607.04
5.	बिहार	89.89	178.97	247.93	261.62	456.12
6.	चंडीगढ़	13.40	51.19	18.51	114.39	146.19
7.	छत्तीसगढ़	325.63	317.70	610.16	435.62	551.88
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	27.23	18.27	23.22	30.28	35.92
9.	दिल्ली	724.59	1,198.50	1,518.29	2,004.31	2,752.75
10.	गोवा	41.92	45.43	60.91	86.43	106.01
11.	गुजरात	1,461.60	1,613.18	2,066.67	2,780.14	4,549.10
12.	हरियाणा	550.86	687.13	780.35	850.01	1,385.61
13.	हिमाचल प्रदेश	106.31	140.27	141.40	158.25	225.34
14.	जम्मू और कश्मीर	35.56	50.68	72.19	104.11	224.29
15.	झारखंड	226.54	243.95	400.92	417.40	842.38
16.	कर्नाटक	1,277.81	1,849.82	2,061.40	2,328.53	3,395.43
17.	केरल	290.67	241.58	363.34	399.47	616.57
18.	लद्दाख	-	14.84	11.72	30.48	25.58
19.	लक्षद्वीप	0.01	0.97	0.02	0.36	0.57
20.	मध्य प्रदेश	375.51	427.48	669.11	612.99	1,195.34
21.	महाराष्ट्र	3,464.81	5,407.40	5,723.29	6,283.97	8,630.80
22.	मणिपुर	10.39	15.62	53.69	84.47	33.73
23.	मेघालय	17.63	19.63	23.04	34.66	62.07
24.	मिजोरम	0.97	6.94	11.01	4.48	14.97
25.	नागालैंड	3.57	12.46	13.57	15.41	26.79
26.	ओडिशा	578.16	752.37	998.07	1,404.24	1,574.98
27.	पुडुचेरी	12.43	9.31	14.62	34.53	27.96
28.	पंजाब	158.46	185.41	263.55	368.15	578.49
29.	राजस्थान	670.00	713.85	1,123.16	1,176.73	1,620.16
30.	सिक्किम	17.28	28.24	36.18	41.87	54.55
31.	तमिलनाडु	1,174.07	1,441.03	1,641.23	2,055.31	2,738.49
32.	तेलंगाना	627.71	688.58	1,042.02	1,103.33	1,445.78
33.	त्रिपुरा	9.29	15.91	19.26	9.45	15.89
34.	उत्तर प्रदेश	907.32	1,345.02	1,213.76	1,590.66	2,212.68
35.	उत्तराखंड	160.58	228.09	307.76	366.02	519.98
36.	पश्चिम बंगाल	471.48	571.89	783.45	877.09	1,075.33
37.	एनईसी/उल्लेख नहीं*	169.47	0.09	10.12	1.06	0.29
38.	संपूर्ण भारत*	7,805.03	5,789.58	6,233.04	7,066.44	662.74
39.	अन्य केंद्रीकृत निधि	3,491.30	1,631.01	1,148.00	1,071.38	943.48
कुल		**26,210.95**	**27,141.45**	**31,183.28**	**35,917.98**	**40,794.00**

(31.03.2026 तक अपडेटेड आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

***कंपनियों ने या तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए थे या एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं, का संकेत दिया था।**

अनुलग्नक-II

दिनांक 03.08.2026 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (ख) और (ग) से सन्दर्भित

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक आंध्र प्रदेश में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1.	कृषि वानिकी	0.28	0.01	8.39	4.35	5.17
2.	पशु कल्याण	43.48	2.26	4.66	3.79	5.54
3.	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं/आश्रित	0.01	0.02	0.51	0.21	0.06
4.	कला और संस्कृति	4.83	1.35	4.77	6.11	7.89
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	1.42	58.41	76.06	71.24	6.69
6.	शिक्षा	121.01	135.79	190.71	218.91	305.52
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	65.97	45.48	36.25	40.62	158.21
8.	लैंगिक समानता	0.05	1.29	0.57	3.29	21.30
9.	स्वास्थ्य देखभाल	197.33	201.85	203.99	236.38	234.21
10.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	16.01	15.19	136.13	189.44	326.71
11.	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	56.50	21.05	26.21	26.54	58.49
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	145.70	108.85	176.97	245.23	148.99
13.	सुरक्षित पेयजल	18.70	7.47	19.97	12.85	22.13
14.	स्वच्छता	18.84	22.01	23.80	30.16	6.89
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	2.83	4.92	14.25	4.27	5.78
16.	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	0.06	-	0.52	2.27	5.96
17.	अनाथालय की स्थापना	0.24	2.29	3.72	0.65	3.41
18.	स्लम क्षेत्र विकास	1.47	0.09	0.53	0.54	0.41
19.	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	1.51	1.08	1.48	7.86	5.50
20.	विशेष शिक्षा	2.18	1.14	2.80	3.69	2.83
21.	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	0.07	0.05	-	0.30	-
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	1.64	3.09	4.89	3.64	5.93
23.	व्यावसायिक कौशल	16.00	27.35	46.45	60.00	41.24
24.	महिला सशक्तिकरण	3.70	2.49	3.69	3.56	4.64
कुल		719.81	663.50	987.33	1,175.88	1,383.52

(31.03.2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

अनुलग्नक-III

दिनांक 03.08.2026 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (ख) और (ग) से सन्दर्भित वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पलनाडु जिले (आंध्र प्रदेश) में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1.	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं/आश्रित	-	-	0.25	-	-
2.	शिक्षा	-	-	-	12.30	-
3.	पर्यावरणीय स्थिरता	-	-	23.14	-	-
4.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-	15.20	-	-
5.	महिला सशक्तिकरण	-	-	0.20	-	-
कुल		-	-	38.79	12.30	-

(31.03.2026 तक अद्यतन डेटा) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)
